मिले हैं और शिक्षक-शिक्षकाएं पढ़ाने के स्थान पर आपस में हास-परिहास करते मिले है तथा जनपद के लगभग 90 प्रतिशत विद्यालयों में छात्रों का शैक्षिक स्तर अत्यंत निम्न मिला है, जो अति गंभीर तथ्य है

8—यह कि, जनपद में कुछ ऐसे भी विद्यालय मिले हैं जहाँ सक्षम व्यक्ति धन-पद के प्रभाव में अपने निवास स्थान के विद्यालय में पदासीन हैं और उ.प्र. कर्मचारी आचरण संहिता एवं शिक्षा मानको की जबरदस्त उपेक्षा कर ट्यूशन-कोचिंग व्यापार सहित राजनीतिक दलों में सक्रिय होकर अवैध लाभ कमाने में जुटे हैं।

9—यह कि, जिले के अधिकांश प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में जहाँ छात्र संख्या पर्याप्त एवं शिक्षकों का अभाव है वहाँ बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. कक्षाओं के जाकर शिक्षण कार्य करने में योगदान नहीं दे रहे हैं।

10-यह कि, शैक्षिक सन्न 16-17 में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के छात्रों को अब तक पुस्तकों एवं ड्रेस न दिया जाने से छात्रों के लिए ड्रेस एवं पुस्तकों की उपयोगिता और औचित्य नहीं रह गया है।

11-यह कि, जिले के प्राइवेट एवं कांवेण्ट स्कूलों में बड़ी आयु के नर्सरी से कक्षा 5 के छात्र बने मिले हैं जिन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में 1 से 8 तक पढ़ने के बावजूद जब उन्हे कोई योग्यता नहीं मिली तो पढ़ने-योग्यता के लिए यहाँ आकर निम्न कक्षाओं में एडमीशन लेना पड़ा और मन लगा कर पढ़ रहे हैं।

12—यह कि, जनपद के अधिकांश प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों के अधिकांश छात्रों ने बताया कि यहाँ पढ़ाई न होने के कराण वह प्राइवेट स्कूलों के छात्र हैं, वहीं पढ़ने जाते हैं यदा—कदा यहाँ आकर खाना, ड्रेस, पुस्तकें ले जाते हैं। जब कोई अधिकारी आता है तो हमें प्राइवेट स्कूल से बुला लिया जाता है।

13-यह कि, जनपद के अधिकांश प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में रसोइया एवं मिड-डे-मील व्यवस्था पृथक होने के बावजूद एक ही स्थान पर खाना बनता है और आंगनबाड़ी के बच्चे भी खाते हैं।

14-यह कि, जिले के अधिकांश प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अनाप-शनाप धन व्यय किया जा रहा है इसके बावजूद ग्रामसभा के सफाईकर्मी से काम कराया जाना उचित नहीं है।

15-यह कि, उक्त स्थिति में केंद्र एव राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त शिक्षा मानक, शिक्षक तथा शिक्षण व्यवस्थाएँ आदि छात्र-छात्राओं एवं साधारण जन-समाज के लिए वरदान के स्थान पर अभिशाप सिद्ध हो रहीं हैं।

16—यह कि, जिल के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई न होने एवं छात्रों के अज्ञानी बने रहने कारण कोई भी सक्षम व्यक्ति अपने प्रतिपाल्य को किसी भी स्थिति में सरकारी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने को तैयार नहीं है यहाँ कि सरकारी स्कूलों में नौकरी करने वाले रसोइया, प्रेरक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी., डी.सी., ए.बी.एस.ए., बी.एस.ए. सहित सरकारी कर्मचारी—अधिकारी और नेता पदासीनता का वेतन—भत्तों की मोटी रकमें लेने के बावजूद अपने प्रतिपाल्यों को इन विद्यालयों पढ़ाने को तैयार नहीं हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति जानबूझ कर अपने प्रतिपाल्यों का भविष्य नष्ट नहीं करना चाहता है।

अतः अनुरोध सहित सुझाव है कि, उक्त तथ्यों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए तथा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में व्याप्त अनियमितताओं पर तत्काल अंकुश लगाया जाना चाहिए। शिक्षकों-प्रबंधतत्रों के फर्जीबाड़ों, फर्जी छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों—अनुदेशकों का वेतन, निजी आवास के पास स्कूल में तैनाती, छात्र हितों एवं मानकों की उपेक्षा पर तत्काल अंकुश लगाकर, मानकीय व्यवस्था अनुरूप शैक्षिक जगत में गरिमामयी योगदान दिया जाना चाहिए।

दिनांक-24-07-2016

आदर सहित।

(डॉ.नीतू सिंह तोर्फ्स) हैं पोस्ट डॉक्टोरल फेलो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई–दिल्ली–110002

भवदीया

Post Doctoral Person, Dans
University Guent Controls Son, Dans

2095010101 (209501) R A RUSO2943423TH Counter No:1.0P-Code:02 TOO CHIEF SECRATARY, UP COUT LUCKNOW, PIN: 225001



Wt: 20grams, PS:22,00, , 25/07/2016 , 12:11 (Have a nice day)>

#### सिंह तोमर, एम. ए.,पी-एच.डी. (समाजशास्त्र) पोस्ट डॉक्टोरल फेला

, अर्थ ज्युदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002 पत्रांक:- 🔰 ६ / जौलाई / 2016 / दि.25.07.2016

मोबाइल-9389766228 गोपनीय एवं अति आवश्यकीय

010

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय:-फर्रूखाबाद जनपद के प्राथमिक एव उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के मानकों की उपेक्षा। महोदय.

जनपद फर्रुखाबाद के दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं के निरीक्षण एवं जनसम्पर्क के दौरान जनपद में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में व्यापक रूप से गंभीर अनियमितताएँ मिलीं हैं जिसके कारण भारतीय शिक्षा के मानकों सहित छात्रों एवं सामान्य जनों का हित बुरी तरह प्रभावित मिला है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु अधोलिखित तथ्य एवं सुझाव आपके समक्ष त्वरित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैं।

1-यह कि, जनपद के अधिकांश प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वास्तविक छात्र संख्या अत्यन्त कम होने के बावजूद अत्यधिक संख्या लिखकर शिक्षकों-अनुदेशकों को बिना कार्य वेतन भुगतान हो रहा है।

2-यह कि, जनपद के नगर क्षेत्र फर्रूखाबाद में संचालित अधिकांश प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों के एक ही भवन के कक्षों में कन्या एवं बालकों के अनेक स्कूल संचालित हो रहे हैं इन अधिकांश स्कूलों में वास्तविक छात्र संख्या अत्यंत कम, शिक्षक संख्या अधिक तथा छात्रों का शैक्षिक स्तर अत्यंत निम्न है।

3-यह कि, जनपद के अधिकांश प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में मिड-डे-मील में घपला अत्यन्त चरम पर है, मील बनते समय छात्र संख्या रसोइयों एवं शिक्षकों को पता नहीं होती है, राशन तौला नहीं जाता है। मील वितरण से पूर्व पंजिका में इंट्री नहीं होती, छुट्टीकाल में फर्जी छात्र संख्या दर्ज की जाती हैं।

3-यह कि, जनपद के अधिकांश प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विशेष कर नगर क्षेत्र के स्कूलों में देखने को मिला है कि अधिकांश शिक्षक रसोइयों से पकौड़ी एवं गुणवत्तायुक्त भोजन बनवाकर स्वयं स्कूलों में खाते हैं और बड़ी मात्रा में बचा भोजन रसोइया अपने घरों में ले जाती हैं जबकि विद्यालयों के वास्तविक छात्रों को उबले चावल, पतली दाल, रंगीन आलू खिलाकर कागजी खानापूर्ति की जाती है। कुछ स्कूलों में रसोइया रबड़ी-खोया बनाते मिले जिसक संबंध में बताया गया कि, शिक्षक घर ले जाएँगे

4-यह कि, जिले के अधिकांश प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में रसोइयों एवं प्रबंध समिति के अध्यक्षों के पुत्र-पुत्री स्कूल के छात्र-छात्रा न होने के बावजूद शिक्षकों की मनमानी कृपा से पदासीन होकर शिक्षकों के फर्जीबाड़ा में शामिल हैं, जबिक वास्तविक छात्रों के माता-पिता इन पदासीनताओं से उपेक्षित हैं।

5-यह कि, जनपद के अधिकांश प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों की प्रबंध समितियों के अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों के निर्वाचन में गंभीर अनियमितताएं मिली हैं जिसमें अध्यक्ष पदों के लिए भोले-भाले लोगों को लालच में फंसाकर प्रधानाध्यापकों ने स्वयं फर्जी लोगों के हस्ताक्षर व अंगूठे छापकर फर्जीबाड़े किए हैं।

6-यह कि, जिले के अधिकांश प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक हाजिरी लगाकर विद्यालय शिक्षण कार्य छोड़कर गायब हो जाते हैं एवं कुछ शिक्षक अनुपस्थित शिक्षकों की फर्जी आख्या दर्ज कर देते हैं।

7-यह कि, जिले के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनेक कक्ष होने एवं अनेक शिक्षक होने के बावजूद अधिकांश विद्यालयों में सभी छात्र-छात्राएँ एक साथ एक ही कक्ष या बरामदे में बैठे या खेलते

Ouplicate 2096010101 <209601) SEU550266132IN Counter No:1, OP-Code:02 To:B S A. FATEHGARH, PIH: 209601 From: DR NEETU SING , UGC DELHI Wt:50grams. PS:17.00, . 08/07/2016 . 13:35 Taxes:Rs.1.85< Chave a nice day>>

तामर,एम.ए.,पी-एच.डी.(समाजशास्त्र पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

ग्रोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

पत्रांक:- 133 /जालाइ/2010/दि.04.07.2016 सेवा में

फोन 9389766228

अति आवश्यकीय एवं त्वरित कार्यवाही हेत्

बेसिक शिक्षा अधिकारी

जनपद फर्रुखाबाद।

विषयःसामान्य जनता के लिए फर्रुखाबाद में प्राथमिकशिक्षा व्यवस्था से संबंधित समस्याओं का अवलोकन महोदय.

मैं डॉ.नीतू सिंह तोमर, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई-दिल्ली-110002, जो कि फर्रुखाबाद जनपद के दिरद्र व्यक्तियों की समस्याओं के निरीक्षण-जनसम्पर्क में कार्यरत हूं तथा दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं में शैक्षिक समस्याओं के कारण और निवारण जानने हेतु फर्रूखाबाद जनपद में संचालित प्राथमिक एवं उच्च-प्राथमिक विद्यालयों (सरकारी-पब्लिक स्कूलों) की शिक्षण व्यवस्था एवं उनके मानकों की वास्तविक-व्यवहारिक स्थितियों को जानने हेत् जनपद के विद्यालयों में औचक जाकर लगभग 645 विद्यालयों के शिक्षकों एवं छात्रों से शैक्षिक समस्याओं पर विस्तृत विचार चर्चा कर चुकीं हूं। मेरे इस कार्य में जहाँ एक ओर छात्रों-अभिभावकों एवं कर्मठ शिक्षकों से मुझे पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है वहीं अनेक विद्यालयों में व्याप्त फर्जीबाडे एवं गंभीर वित्तीय अनयिमितताओं के कारण कुछ लोग बुरी तरह परेशान नजर आए हैं जबकि मेरे द्वारा उनसे व्याप्त अनियमितताओं को दूरकर शिक्षण व्यवस्था में सुधार करने का सुझाव दिया गया है।

महोदय, जिले के अधिकांश विद्यालय फर्जीबाडों एवं गंभीर वित्तीय अनियमितताओं से बुरी तरह ग्रसित हैं और शिक्षण स्तर इतना निम्न मिला है कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के अधिकांश छात्रों को हिन्दी अक्षरों-शब्दों तक को पढ़ने-लिखने तक का ज्ञान नहीं है। अनेक शिक्षक शिक्षण कार्य से प्रथक रहकर राजनीति, ट्यूशन,अन्य व्यवसाय में संलग्न हैं तथा इनके द्वारा शैक्षिक मानको की उपेक्षा की जा रही है।

उक्त स्थिति में जहाँ एक ओर भविष्य में सभी शिक्षकों का मेरे जनसंपर्क इयुटी कार्य में सहयोग मिलने की पूर्ण संभावनाएँ हैं वहीं दूसरी ओर कुछ दवंग शिक्षकों द्वारा असहयोग एवं बवाल करने की सभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता है और वह जनसंपर्क-निरीक्षण में जबरदस्त अवरोध कर सकते हैं

अतः अनुरोध है कि जनपद फर्रुखाबाद के दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं के अंतर्गत शैक्षिक समस्याओं के अवलोकनार्थ जनपद में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था एवं शिक्षण व्यवस्था तथा उनके मानकों की वास्तविक-व्यवहारिक स्थितियों के अवलोकनार्थ मेरे जनसंपर्क-निरीक्षण कार्य में सहयोग हेत् जनपद के सभी प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों को निर्देशित कर, गरिमामयी सहयोग प्रदान करने का कष्ट अवश्य करें। सधन्यवाद।

सदभावनाओं सहित।

भवदीया

दिनांक:-04.07.2016

संलग्नक-अधिकार पत्र की प्रति। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रति-1-विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, उ.प्र.लखनऊ।

(डॉ.नीतू सिंह तोमर)

पोस्ट डॉक्टोरल फेलो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई-दिल्ली-110002

Dr. NEETU SIMEW! Post Doctors Fallow, ) Integrals Gammadon, Doll

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह

पत्रांक:- 129 /जून/2016/दि.20.06.2016 सेवा में.

> प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-फर्रुखाबाद जनपद के प्राथमिक-जूनियर विद्यालयों में मिड-डं-मील उपेक्षा पर अंकुश लगाने हेतु। महोदय.

भारत की शीर्ष अदालत 'सुप्रीम कोर्ट' द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को अवकाश अवधि में भी मिड-डे-मील दिए जाने का आदेश दिया है जिसके अनुपालनार्थ उ.प्र. सरकार द्वारा सरकारी एवं वितीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को मिड-डे-मील व्यवस्था सुनिश्चित कर प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, रसोइयों एवं छात्रों की उपस्थित में आवश्यक रूप से भोजन वितरण करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी स्थिति का अवलोकन करने हेतु मैंने फर्रूखाबाद जनपद में संचालित अनेकों प्राथमिक, जूनियर एवं एडिड विद्यालयों में संचालित गिड-डे-मील व्यवस्था देखी। स्कूलों के प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, रसोइयों, प्रबंधसमिति के अध्यक्षों, छात्रों, अभिभावकों, से बातचीत की। जिसके परिणामस्वरूप गंभीर अनियमितताएं-तथ्य प्रमाणित हुए। जिन पर अंकुश लगकर, प्राथमिक-जूनियर स्कूलों के मिड-डे-मील वितरण में तत्काल सुधार किया जाना अति आवश्यक व समीचीन है। सुधार हेतु अघोलिखित तथ्य-सुझाव कार्यवाही हेतु आपके समक्ष सादर प्रेषित है।

1-यह कि, अधिकांश प्राथमिक एवं जूनियर स्कूलों में पंजीकृत छात्र संख्या वास्तविक छात्र संख्या से अत्यधिक लिखी मिली है एवं पंजीकृत में अधिकांश छात्र-छात्राएँ कान्वेंट-प्राइवेट स्कूलों के छात्र मिले हैं।

2-यह कि, मिड-डे-मील बनवाने हेतु अधिकांश स्कूलों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक स्कूल नहीं जा रहे हैं और यदाकदा स्कूल जाकर छात्र उपस्थित शून्य दर्ज कर छात्रों को मिड-डे-मील नहीं दिया जा रहा है।

3-यह कि, प्र.स. के सदस्यों व रसोइयों के बच्चे छात्र होने के बवजूद उनको अनुपस्थित किया जा रहा है एवं रसोंड्यों ने बताया कि प्रधानाध्यापकों द्वारा राशन न दिए जाने से मिड-डे-मील बनाने में असमर्थ हैं।

4-यह कि, नगर-गावों के छात्रों एवं प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से बताया गया कि अवकाश दिनों में मिड-डे-मील मिलने की जानकारी उन्हें नहीं दी गई है तथा कुछ छात्रों ने बताया कि वह जब कभी विद्यालय पहुँच जाते हैं तो उन्हें भगा दिया जाता है या एक-दो विस्कुट दे दिए जाते हैं।

3-यह कि, अधिकांश प्रधानाध्यापक एवं प्रधान मिड-डे-मील वितरण की उपेक्षाकर राशन-धन हडप रहे हैं।

अतः आपसे विशेष अनुरोध है कि, मिड-डे-मील व्यवस्था में व्याप्त जबरदस्त बाधाओं एवं गंभीर अनियमितताओं को समाप्त कर, मानकीय मिड-डे-मील व्यवस्था लागू करने में योगदान अवश्य प्रदान करें। भवदीया

आदर सहित।

दिनांक-20-06-2016

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रति:-

प्रकार 30 / 1:-महामहित राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकार, राजमवन, लखनक। प्रभाग । 2:-संयुक्त शिक्षा निदेशक, कानपुर मंडल, कानपुर-नगर।

प्राथित शिक्षा अधिकारी, जनपद फर्रुखाबाद।

(डॉ.मीत् सिंह तोमर)

पोस्ट डॉक्टोरल फेलो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई-दिल्ली-110002

Dr. NEETU SINGH Post Doctoral Fellow University Grant Commission, Delhi

22-6-16-8132-51 Fabrum HO Buguete

मोबाइल-9389766228 गोपनीय एवं अति आवश्यकीय

PEUDDO265689IN Counter No:1, IP-Code:02

FATEHGARH, PINI209801 From: DR METU SINCH , BOC DELHE

79:17.00, , 21/06/2016 , 09:06 TaxesyRs. 1.85K Olave a mice day

Wtatkgrams,

त् सिंह तीमर, पोस्ट डाक्टोरल फेलो, Counter No:14 To: MURHYA SAC

шски, वेश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई From: ER. HEI बांक-125 / अप्रैल-2016 / दिनांक-2 -04-2016 दिल्ली-Ant:22.00 .1 मुख्य सचिव «Track on w

उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

षयः गरीबों हेतु बनी योजनाएं समाजवादी-असहाय-बिकलांग-विधवा पेंशन व अन्त्योदय राशनकार्ड में मानकों के अनुपालनार्थ। में दरिद्रों की समस्याओं के निर्धारण हेतु फर्रूखाबाद जनपद का भ्रमण एवं जनसम्पर्क कर रही हूँ तथा उत्तर प्रदेश RL FATEHGASH हरकार द्वारा जनपद फर्रूखाबाद के नगर-गांव क्षेत्र के गरीबों को पंजीकृत कर जिनको समाजवादी-असहाय विधवा-वृद्धावस्था, A RU999 बिकलांग पेंशन एवं अन्त्योदय-बी.पी.एल.राशन लाभ दिया जा रहा है उनके घर जाकर उनकी वास्तविक स्थित का अवलोकन Counter Hos कर उनसे बातचीत कर रही हूँ। परिणाम स्वरूप सभी अन्त्योदय धारी एवं अधिकांश बी.पी.एल.समाजवादी पेंशन का लाभ पाने

To:MANUARICATUATION (लगभग 80—95 प्रतिशत) अपात्र पाए हैं जिनमें अधिकांश के पास बड़े लेंटर मकान, शहरों में हवेलियाँ, कार, मोटरसाइकिल, КАРГР. कार, ट्रेक्टर, ट्रक, दूकान, व्यापार, नौकरी, भूमि, प्लाट्स, उद्योग, प्रतिष्ठान, पैतिक धन-सम्पत्ति आदि का स्वामित्त्व एवं सक्षम व्यक्ति—परिवार मिले हैं। अधिकांश वृद्धों एवं विधवाओं के लड़के—लड़की शादी—शुदा सक्षम व्यक्ति—परिवार मिले हैं। अनेक ध्यान्त-पारवार मिल है। आधकारा पृद्धा एवं पथववाजा क लड़क लड़का सावा पुत्र प्रधान नाता. अर्थ स्थान परिवंतन (40 कार्कर) विकलांग पेंशनर्स ऐसे मिले हैं जो शारीरिक रूप से पूर्ण सक्षम या चोट लगने से शारीरिक अंगों में थोड़ा सा परिवंतन (40 प्रतिशत से कम) होने एवं पर्याप्त आय होने के बावजूद बिकलांग पेंशन प्राप्त करते मिले एवं अनेक व्यक्ति माता, पिता, पित, प्रातशत स कम्) हान एव प्रयाप्त आय हान क बावजूद विकलाग पराच आरा प्रत्या हात एवं जान प्रात्त हैं इस प्रकार गरीबों पत्नी, पुत्र, बहू बेटी, दामाद सहित एक ही परिवार के अनेक व्यक्ति अनेक पैशन अवैध रूप से लेते मिले हैं इस प्रकार गरीबों प्रत्या में के लिए बनीं सरकारी कल्याण योजनाओं का अवैध लाभ लेते मिले। जिसके कारण जहाँ सरकारी योजनाओं का भारी मात्रा में

धन का दुरूपयोग हो रहा है वहीं वास्तविक दरिद्रों की स्थिति निर्धारण करने में मुझे अत्यन्त परेशानी का सामना करना पड़ 12-11-11 et रहा है और देश की वास्तविक दरिद्रता निवारण के संबंध में सही नीति का निर्धारण हो पाना संभव प्रतीत नहीं हो पा रहा है। A RUSS Counter N To: JILA A

Wt:20gram Amt: 22.00

गरीबों के कल्याण के लिए बनीं योजनाओं में निर्धारित नियमों की उपेक्षा कर फर्रूखाबाद जनपद में रजिस्टर्ड-फर्जी दरिद्रों द्वारा अर्थात् रहीसों द्वारा बड़ी मात्रा में गरीबों का गेंहू चावल, तेल, चीनी, सरकारी इंदिरा-लोहिया-कांशीराम आवास, जमीन-प्लाट पट्टा, उद्योग, बीमा, समाजवादी-वृद्धा-असहाय-विधवा-विकलांग पेंशन, दान-अनुदान व राष्ट्रीय सम्मान आदि फर्जीबाड़ा से हड़प कर गंभीर वित्तीय अनियमितताएं की जा रही हैं। सांसद एवं विधायक निधियों एवं हैंडपम्प तथा विकास का धन सार्वजनिक स्थलों - स्कूलों के स्थान पर न लगाकर रहीसों के निजी आवासों, प्लाटों, प्रतिष्ठानों, स्कूलों में लगाए गए/जा रहे है। राशन-कोटे की दूकानें महिलाओं या बाहरी रहीसों के नाम आबंटित होकर पैतिक विरासत के रूप में दबंग कोटा लेकर राशन-तेल ब्लैक कर रहे हैं और यह दूकानें नियमित न खुलकर माह में मात्र एक-दो दिन खुलकर सरकारी कर्मचारियों की अनुपस्थित में राशन वितरण की खानापूर्ति कर रहीं है। इन कोटे की दूकानों का ब्लैक राशन बाजार की दूकानों पर खुले आम बिक रहा। गांव के अधिकांश ग्राम सचिवालयों, सहकारी, स्वास्थ्य भवनों के कक्षों में दबंग-रहीसों ने ताले डालकर अवैध कब्जा कर लिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकांश केंद्र-उपकेंद्रों पर चिकित्सक की जगह फार्मासिस्ट-सफाई कर्मी-आशाएं रोगियों का इलाज कर रहे हैं जबकि अनेक चिकित्सक-कर्मचारी केंद्र-उपकेंद्रों पर यदाकदा जाकर उपस्थित खानापूर्ति कर रह हैं। प्राइमरी एवं जूनियर स्कूलों के शिक्षकों एवं प्रबंध समितियों का फर्जीबाड़ा अत्यन्त गंभीर है। अधिकांश विद्यालयों की पंजीकृत छात्र संख्या अधिक एवं वास्तविक छात्रों की संख्या-उपस्थित अत्यन्त कम है। इस संबंध में बताया गया है कि. अधिकांश छात्र प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के बावजूद उनके नाम शिक्षक नौकरी कायम रखने के उद्देश्य मात्र से दर्ज की गई है इन विद्यालयों की प्रबंध समिति के अधिकांश अध्यक्षों व रसोइयों की पदासीनता अमानक एवं अवैध है। प्राइमरी एवं जूनियर स्कूलों में पढ़ाई का स्तर अत्यन्त निम्न एवं फर्जीबाड़ा से सार्वजनिक धन-सम्पत्ति का घोटाला अत्यन्त उच्च है। अधिकांश गावों में सफाई कर्मचारी के पद पर उच्च-पिछड़ी जाति-वर्ग के व्यक्ति पदासीन हैं जो स्वयं गलियाँ-नालियाँ सफाई नहीं करते हैं और बाल्मीक जाति के व्यक्तियों को 200 रूपए दिहाड़ी मजदूरी देकर काम पर लगाकर यदा-कदा गांव-सफाई कार्य की खानापूर्ति कराते रहते हैं तथा ग्राम-प्रधान एवं ए.डी.ओ. पंचायत को वेतन का कुछ हिस्सा नियमित देकर अपनी फर्जी इयूटी उपस्थित के हस्ताक्षर प्रमाणित कराकर स्वयं बिना काम किए वेतन के नाम पर सरकारी धन हड़प कर गंभीर वित्तीय अनियमितताएं करने में जुटे हुए हैं। इस तरह रहीस व्यक्ति-परिवार फर्जी दरिद्र बनकर सरकारी सुख-सुविधाओं को मोग कर मौज कर रहे है। जबकि वास्तविक दरिद्र ए.पी.एल.धारक या राशनकार्डविहीन होने से बुरी तरह दरिद्रता ग्रसित व संघर्षरत हैं।

केंद्र-प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाम की पात्रता, आवेदन, स्वीकृत एवं धन आबंटन की औपचारिक प्रक्रिया निर्धारित है। जिसमें शासन के प्रशासकों, अधिकारियों, कर्मचारियों की निगरानी एवं जबाबदेही उत्तरदायित्त्व निर्धारित है। इसके बावजूद रहीसों द्वारा दुरूपयोग एवं वास्तविक दरिद्रों की पात्रता की उपेक्षा देश-समाज के लिए घातक है।

अतः सुझाव-अनुरोध है कि गरीब कल्याण हेतु योजना अन्योदय, बी.पी.एल.एवं समाजवादी-असहाय विधवा-वृद्धा-बिकलाग पेंशन में निर्धारित नियमों के अनुरूप मात्र पात्र व्यक्ति-परिवारों को ही लाम प्रदान करें तथा अपात्र-फर्जी गरीबों को योजना के लाम से प्रथक कर अपात्रों को दिए गए लाम भुगतान की रिकवरी कराकर वैधानिक रूप से दण्डित अवश्य क्रिए) सधन्यवाद। दिनांक:-08-04-2016

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रति:-

(1):- मंडलायुक्त, कानपुर परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश, कानपुर। पट्यम् -१२६

(2):- जिलाधिकारी, फर्लेखाबाद, उत्तर प्रदेश।

(डॉ. नीत् पिंह तोमर) एम.ए.,पी-एच.डी. समाजशास्त्र

पोस्ट डॉक्टोरल फेलो Br. NEETU SINGH

Post Doctoral Fellow University Grant Commission, Dath! RL KOIWALI ROAD <20960 A RU999343017 Counter Nos1.0P-Codes TosPRANURH SACHIV... Lucknow G.P.O.. PS FromsDR.NETU SINGH.

Aut: 22.00 .07/12/2015

<

ोतू सिंह तोमर, एम.ए.,पी—एच.डी.(समाजशास्त्र) पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

द्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली—110002 1/36, बजाजा, सब्जीमंडी, फतेहगढ़, जनपद-फर्रुखाबाद-209601

A RU99934304

A RU99934304 Counter Ho:1.IP-Cod= 97 / दिसंबर-2015 / दि.07.12.2015 मोबाइल-09389766228, 7376681850 अति-गोपनीय एवं त्वरित कार्यवाही हेत्

To:PRAPLIKH SACHIV... Ludonow G.P.G..

From: DR. NETU SIMH निदेशक,

Wt:20grams.

Ant: 22.00 .07/12/201महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश,

<ि rack on um.india8—वां तल, जवाहर भवन, लखनऊ, उ० प्र०।

र्रुखाबाद के उद्योगों,प्रतिष्ठानों,दूकानों,आवासों,गोदामों के बालश्रमिकों की मुक्ति हेतु

महोदय,

जनपद फर्रुखाबाद के भ्रमण एवं जन-सम्पर्क के दौरान मैंने पाया है कि, जिले की नगर-बस्तियों में संचालित पंजीकृत-गैरपंजीकृत अनेक उद्योगो, कारखानों, दूकानों, प्रतिष्ठानों, स्कूलों, गोदामों, आवासों, ईंटमट्टों पर बड़ी संख्या में बाल-मजदूर-बालक, बालिकाएं एवं महिलाएं कार्यरत हैं। जिन्हें नाम मात्र की मजदूरी देकर उनसे 10-12 घंटे अमानुषिक रूप से श्रम कराकर मनमाना लाभ कमाया जा रहा है। मैने वहाँ जाकर अनेक बाल, किशोर एवं महिला श्रमिकों एवं मालिकों से बातचीत करके पाया कि, अधिकांश बाल एवं महिला श्रमिकों को बंधुआ श्रमिकों के रूप में ठेकेदारों के माध्यम से लगाया जाता है, जिनके गरीब-मजदूर माता-पिता-पित को लालच-कर्जा-नशा फंसाकर उनके प्रतिपाल्यों से काम लिया जाता है।

महोदय, धनाढ़यों, व्यापारियों, रहीसों द्वारा अपने उद्योगों, प्रतिष्ठानों, दूकानों, आवासों, गोदामों, स्कूलों, आश्रमों, कोल्ड स्टोर्स आदि स्थानों पर बाल एवं महिला श्रमिकों से गंभीर प्रकृति के कार्यों से लाभ कमाकर इनके भविष्य को नष्ट कर मानव जीवन के वास्तविक सुखों से जबरदस्त बंचित किया जा रहा है। यथा कायमगंज के तम्बाकू गोदामों एवं कमालगंज के बीड़ी कारखानों में कार्यरत बालक—बालिकाओं के मन— मस्तिष्क में नशे का प्रभाव, फर्रुखाबाद के जरदोजी कढ़ाई का आंखों—नजरों पर प्रभाव, व्यापारियों की दूकानों, आवासों, स्कूलों में बड़ी संख्या में कार्यरत बाल श्रमिकों की नजरन्दाजी कानून उपेक्षा का प्रमाण है। जिस पर तत्काल अंकुश लगाकर वैधानिक कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक एवं समीचीन है।

अतः आपसे अनुरोध है कि, फर्रूखाबाद जनपद की नगर—बस्तियों में संचालित पंजीकृत—गैर पंजीकृत उद्योगों, कारखानों, दूकानों, प्रतिष्ठानों, स्कूलों, गोदामो, आवासों, आश्रमों, कोल्डस्टोरेज, ईंटभट्टों पर बड़ी संख्या में अवैध रूप से कार्यरत बाल—मजदूर बालक—बालिकाओं, महिलाओं तथा बंधुआ श्रमिकों को तत्काल मुक्त कराकर उन्हें आवश्यक संरक्षण प्रदान करने तथा बंधित रहीसो—दबंगो के विरुद्ध दंडनीय कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट अवश्य करें।सधन्यवाद।

दिनांक:-07-12-2015

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रति:-

(डॉ.नीर्तू सिंह सेंगर)

पीठडी०एफ० बहादुरशाह जफर मार्ग,

- (1) प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग उ.प्र. लखनऊ।
- (2) अध्यक्ष / सचिव, महिला एवं बाल विकास समिति,जनपद फर्रूखाबाद। नई-दिल्ली-110002
- (3) प्रमुख सचिव, श्रम-विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ,

Post Dectoral Fellow
University Grant Commission, Delhi

FL YOMALI RUSO (209801) 09993426301N Conter Nost, 87-Codes02 TOOK D D. BENNER Farmichabad S.B. PIM FrONTER STORY Mt: Zigrams, Ast:22.00 ,19/11/201. Wirad on www.indispost

### सिंह तोमर, एम.ए.,पी-एच.डी.(समाजशास्त्र पोस्ट डॉक्टोरल फेले

वैद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002 36, बजाजा, निकट फतेहगढ़,जनपद—फर्रुखाबाद—209601

wowa- 95 marec 2015

मोबाइल-0938976228, 7376681850 अति-गोपनीय एवं त्वरित कार्यवाही हेतु

सेवा में

बी.डी.ओ / पंचायत चुनाव अधिकारी, बढ़पुर ब्लाक क्षेत्र, जनपद फर्रूखाबाद-उ० प्र०।

विषय:—"पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों से अदेय प्रमाण पत्रों के लिए बिना रसीद वसूली" महोदय.

मैंने दिनांक 17-11-2015 को आपके कार्यालय-ब्लाक परिसर में पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के नामांकन की व्यवस्था का अवलोकन किया। ब्लाक कार्यालय में नामांकन विंडोज पर व्यवस्था संतोष जनक मिली परन्तु परिसर के अहातों में जमें क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायत के कर्मचारी 'अदेय प्रमाण पत्र' को जारी करने के लिए प्रत्याशियों से विना रसीद दिए रू.500.00 लेकर 'अदेय प्रमाण पत्र' जारी करते मिले। पूंछने पर कर्मचारियों ने बताया कि वह बिना रसीद दिए रूपए इस लिए लेते हैं क्योंकि ऐसा धन लिया जाना हम कर्मचारियों के सिस्टम में है और इसे कोई खल्म नहीं कर सकता। इस बात को वहां मौजूद कर्मचारियों के दलालों ने उनकी बात का समर्थन करके उनके भ्रष्टाचार आचरण को विशेष बल दिया।

उक्त स्थिति में जहां पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों का जवरदस्त शोषण एवं खुलेआम भ्रष्टाचार का प्रकरण विशेष रूप में सामने आया वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों द्वारा बिना रसीद दिए मनमाने ढंग से ब्लाक परिसर में सरकारी कर्मचारियों द्वारा जबरदरत अवैध वसूली से देश-समाज को कलंकित करने का तथ्य प्रमाणित हुआ। जिस पर तत्काल अंकुश लगाया जाना अति आवश्यक एवं समीचीन है।


अतः आपसे अनुरोध है कि ब्लाक-कार्यालय परिसर में रारकारी कर्मचारियों द्वारा की जा रही बिना रसीद अवैध वसूली पर तत्काल अंकुश लगाकर, संगीन अपराध में लिप्त सरकारी कर्मचारियों को तत्काल बर्खास्त कर, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का कष्ट जनहित में अवश्य करें। सधन्यवाद।

आदर सहित। दिनांक:-18-11-2015

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रति:--

(1) मुख्य चुनाव आयुक्त, उ.प्र. लखनऊ।

(डॉ.नीत् सिंह सेंगर) पी०डी०एफ० वहादुरशाह जफर मार्ग. नई-दिल्ली-110002



#### सिंह तोमर, एम.ए.,पी—एच.डी.(समाजशास्त्र) पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली—110002 36, बजाजा, निकट फतेहगढ़,जनपद—फर्रुखाबाद—209601

OIC

4 aira- 96 Matric 2015

मोबाइल-0938976228, 7376681850

अति आवश्यकीय एवं त्वरित कार्यवाही हेतु

सेवा में.

अधिशासी अभियन्ता,

जल निगम एवं नलकूप विभाग, जनपद फर्रूखाबाद-उ० प्र०।

विषयः सरकरी हैंडपंपों में लगाकर समरसेबिल कब्जों से बाधित जल आपूर्ति पर अंकुश हेतु

महोदय,

मैंने जनपद फर्रूखाबाद के भ्रमण एवं जन-सम्पक्त के दौरान देखा कि गांव-नगर में लगाए गए सरकारी हैण्ड पम्पों पर धनी-दवंगों ने जवरदस्त कब्जा कर या तो सरकारी हैण्ड पम्पों को अपने आवास-चौपालों के अंदर कर लिया है अथवा उन्हें खराब कर उनमें अपने घर की जल-आपूर्ति के टैंकों क्रों का समर-सेबिल-पंग्प डालकर सार्वजनिक आपूर्ति से पथिकों एवं सामान्य जनता को जलपान से जवरदस्त बंचित कर दिया है। यथा फतेहगढ़ नगर की मक्खन वाली गली का हैण्ड पम्प एवं आवास विकास कालोनी फर्रूखाबाद में स्थापित हैण्डपम्प 17/12 आदि पर दवंगों का जबरदस्त कब्जा तथा उनमें लगे समरसेबिल। जिस पर तत्काल अंकुश लगाकर सरकारी हैंडपंपों पर दवंगों के अवैध कब्जों पर तत्काल अंकुश लगाकर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक एवं समीचीन है।

अतः आपसे अनुरोध है कि नगर—गांवों के सरकारी हैण्ड पम्पों को खराब कर उनमें पड़े समरसेबिल तथा विद्युत—कनेक्शन में से सार्वजिनक जल आपूर्ति बाधित करने वाले रहीसो—दबंगों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही कर अवैध कब्जे के हैण्ड पम्पों की जल आपूर्ति पथिक एवं सामान्य—जनता को समर्पित करने का कष्ट अवश्य करें। सधन्यवाद।

आदर सहित।

दिनांक:-18-11-2015

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रति:-

(1)विशेष सचिव, जल-आपूर्ति विभाग उ० प्र० लखनऊ।

(डॉ.मीर्नू सिंह सेंगर)

पीठडी०एफ० बहादुरशाह जफर मार्ग, नई–दिल्ली–110002

Dr. NEETU SINGH
Post Doctoral Fellow
University Grant Commission, Delhi

पास्ट डाक्टारल फला

#### विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

पत्रांक:- 91 / सितम्बर / 2015 / दि.29.09.2015

फोन 9389766228

सेवा में.

OLC

प्रमुख सचिव,

अतिआवश्यकीय एवं गोपनीय

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। विषयः अमानक चिकित्सालयों, नर्सिंग होम्स एवं अपात्र डाक्टर्स द्वारा अवैध वसूली पर अंकुश लगाने हेतु

फर्रुखाबाद जनपद निरीक्षण में मुझे, जिले में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग द्वारा नियंत्रित-पंजीकृत अमानक चिकित्सालयों, नर्सिंगहोम्स, मेडिकलस्टोर्स में व्याप्त गंभीर अनियमितताएं, फर्जीबाड़े, अवैध वसूली तथा दरिद्रों-अनाथ-असहाय सामान्य जनों की जबरदस्त उपेक्षा देखने को मिली। इन कारणों से जहाँ एक ओर स्वास्थ-चिकित्सा के मूल उद्देश्य प्रभावित हो रहे है, वहीं दूसरी ओर धन-पद-प्रतिष्ठा प्रभाव में बने लाइसेंस-पंजीकरण से संचालित अमानक अस्पतालों,नर्सिंगहोम्स,मेडिकलस्टोर्स में बिना अवरोध, बिना रसीद अनमाने ढंग से खुलेआम अवैध वसूली हो रही है तथा गरीबों के लिए बनी कल्याण योजनाओं का लाम सहित सरकारी-सार्वजनिक धन-संपत्ति को बड़ेस्तर पर हड़पकर दुरूपयोग फर्जीबाड़ा हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में कार्यरत लोगों सहित अन्य सभी अमानक अस्पतालों-नर्सिगहोम्स, मेडिकलस्टोर्स में बिना रेटबोर्ड, बिना रसीद से जारी अवैध वसूली पर तत्काल अंकुश लगाकर इनके लाइसेंस-पंजीयन निरस्तकर ज़िले के सामान्यजनों को मानकीय स्वास्थ-चिकित्सा उपलब्ध कराया जाना अति आवश्यक व समीचीन है। स्वास्थ-चिकित्सा सुधार-कार्यवाही हेतु अधोलिखित तथ्य-सुझाव आपको सादर प्रेषित है।

1-यह कि,जिले में संचालित निजी अस्पतालों-नर्सिंगहोम्स-मेडिकलस्टोर्स के स्वामी डाक्टर्स, नर्स, वर्डब्याय, कर्मचारी एवं पंजीकृत-लाइसेंसधारियों में अधिकांश व्यक्ति सरकारी विभागों में कार्यरत डॉक्टर्स-सरकारी कर्मचारी एवं उनके परिजन सगे-संबंधी आपसी हितबद्ध या नौकर-चाकर हैं,जो अपने निजी निवास पतों में हेराफेरीकर अपने मूलआवासों में रहकर सरकारी ड्यूटी की उपेक्षाकर अपने निजी भवनों में परिजनों सहित क्लीनिक-नर्सिंगहोम्स-मेडिकलस्टोर्स चलाकर अवैध वसूली करने में जुटे हुए हैं। यह अस्पतालों में रोगियों को मानकीय चिकित्सा सहायता तो क्या अपने नौकरों को भरपेट-भोजन व पूरी मजदूरी तक देना पसंद नहीं करते। स्वास्थ-चिकित्सा के पंजीकृत-लाइसेंस धारकों के अस्पतालों,नर्सिंगहोम, पैथी लाजी,मेडिकलस्टोर्स में मानकीय उपेक्षा-अवैध वसूली निर्बाधरूप से जारी हैं,तत्काल अंकुश लगना चाहिए

2-यहकि, जिले में संचालित निजी क्लीनिकों-अस्पतालों, पैथीलॉजी, मेडिकलस्टोर्स के अधिकांश डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, कर्मचारी अपात्र-फर्जी-अमानक डिग्रीधारी एवं सरकारी कर्मचारी हैं, जो चिकित्सा मानकों की जबरदस्त उपेक्षाकर नाबालिगों एवं बंधुआ मजदूरों से मरीजों की जांच-इलाज एवं दवावितरित कराकर जनस्वास्थ को बुरी तरह प्रभावितकर रहे हैं।इनमें जन-सूचनानोटिसबोर्ड,रेटबोर्ड,मानकीय-कर्मचारी-वेतन भगतान व बनियादी सविधाओं का पूर्णतया अभाव है,इनके पंजीयन-लाइसेंस तत्काल निरस्त होने चाहिए

3-यहकि, सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक-कर्मचारी अपने निवास-पतों में हेराफेरी कर अपने गृह जिला-निवास क्षेत्र में लंबी अवधि से कार्यरत हैं,अपने परिजनों-नौकरों,ठेकेदारों से स्वास्थ-चिकित्सा की खानापूर्ति कर जन-स्वास्थ की जबरदस्त उपेक्षा कर लाभ कमा रहे हैं, तत्काल अंकुश लगना चाहिए

4-यहिक, चिकित्साक्षेत्र से जुड़े अधिकांश डॉक्टर्स,कर्मचारी,दलाल,ठेकेदार कर्मचारी आचरण सहिताओं एवं स्वास्थ-चिकित्सा के मानकों की जबरदस्त उपेक्षाकर गुटबंदी-हड़ताल के दबाव में जनसमाज-सरकार में दहशत-अराजकता पैदा कर रहे हैं, चिकित्साक्षेत्र में संगठित अपराध पर तत्काल अंकुश लगना चाहिए।

अतः आपसे अनुरोध है कि, सरकारी पदों पर कार्यरत अपने निजी-गृह-निवास पर परिजनों सहित निजी क्लीनिक अस्पतालों-नर्सिंगहोम, मेडिकलस्टोर्स, पैथालॉजी संचालित करने वालों एवं स्वास्थ्य-चिकित्सा मानकों की उपेक्षा, बिनारेटबोर्ड, विनारसीदव्यापारशुल्क, बिनारसीदवाबिक्री, अवैधवसूली पर अंकुश लगाकर मानकीय स्वास्थ्य-चिकित्सा व्यवस्था प्रदान कर, सामान्यजनों के स्वास्थ्य में गरिमामयी योगदान अवस्य करें।

दिनांक-29-09-2015

सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रति:-(1) अध्यक्ष, मेडिकल कारंसिल, उ.प्र.लखनऊ।

(2) सी.एम.ओ. फर्सखाबाद। विश्वविद्यालय — अनुदान आयोग, भारत सरकार

(डॉ. क्षेर्सिंह तोमर)

(३) अध्यक्ष मेडिकल कार्चिसल इंडिया नईदिल्ली।

RL BAZAZA BAZAR <209601> A RU4347287301N inter No:1,0P-Code:02 TOUSACHIVE AYUKT, NAGAR VIKASH S LUCKNOW, PIN:226001 ASDR NITU SINGH , DELHI Wt:20grams. Amt:22.00 . 26/09/2015 . 13:39

RL BAZAZA BAZAR <209601> A RU434728743IN wter No:1,0P-Code:02 TO:D.H.FARRUKHABAD

FATEHGARH, PIN: 209601 FL JEDR HITU SINGH . DELHI

RL BAZAZA BAZAR (209601) A RU4347287571N ter No:1.0P-Code:02 DISANTTESHU, SACHTVE NAGAR FARRLINHABAD, PIN: 209625 FAL :DR MITH SINGH , DELHI Wt:20grams.

# सिंह तोमर, एम.ए.,पी-एच.डी.(स्माजशास्त्र)

्रिवर on www.indiapost.gov.inवश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली—110002 वाक:-87 /सितम्बर / 2015 / दि.26.09.2015 फोन 9389766228

सचिव-आयुक्त,

नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

अतिआवश्यकीय एवं गोपनीय

षयः नगर गरीबों के लिए सरकारी आवासों में रहीस कब्जों के विरुद्ध बेदखली-दंडनीय कार्यवाही हेत्

फर्रूखाबाद जनपद निरीक्षण में मुझे, फर्रूखाबाद जिले में नगर विकास विभाग उ.प्र. द्वारा निर्मित गर गरीबों के लिए सरकारी आवासीय कालोनी-टाउनहाल, बंधौआ, हैवतपुर गढ़िया आदि के आवास वंटन, गरीबों की जगह रहीसों के निवास तथा कालोनियों में व्याप्त गंभीर अनियमितताएं-फर्जीबाड़ों से ent:22.00 , 26/09/2015 , 13:40 गर के वास्तविक दिरद्रों—अनाथ—असहाय व्यक्तियों की जबरदस्त उपेक्षा देखने को मिली। इन कारणों ack on www.indiapost.gov.in जहाँ एक ओर दरिद्रों को खाद्य आवास सुरक्षा के मूल उद्देश्य प्रभावित हो रहे है, वहीं दूसरी ओर न-पद-प्रतिष्ठा के प्रभाव में बने फर्जी-गरीबों और उनके सगे-संबंधी आपसी हितबद्धों लोगों को बिना वरोध सरकारी कल्याण की योजनाओं का लाभ सहित अनेक कागजी खानापूर्ति के माध्यम से रकारी-सार्वजनिक धन-संपत्ति को बडेस्तर पर हड़पकर दुरूपयोग हो रहा है। फर्जी गरीबों को बंटित आवास कब्जे तत्काल निरःत कर नगर के वास्तविक दरिद्रों को आवास उपलब्ध कराया जाना ति आवश्यक व समीचीन है। सुधार-कार्यवाही हेतु अधोलिखित तथ्य-सुझाव आपको सादर प्रेषित है। -यह कि, नगर क्षेत्र के अन्त्योदय एवं बी.पी.एल. राशनकार्ड एवं गरीबी आय प्रमाण-पत्र धारी अधिकांश िवित-परिवार दरिद्रों, असहायों, उनाथों के स्थान पर रहीसों के परिजन सगे-संबंधी आपसी हितबद्ध या Ant:22.00 , 26/09/2015 , 13:41 क्लि—जाति विशेष के सक्षम—दबंग हैं, जो सरकारी योजनाओं के कल्याण लामों से वास्तविक दरिद्रों 《Crack on www.indiapost.gov.in बंचित कर दरिद्रों के सरकारी आवास, राशन, तेल हड़पने में सक्रिय रहकर गरीबों हेतु कल्याण योजनाओं का धन-संपत्ति हड़पने में जुटे हुए हैं। यह दरिद्रों को दान-सहायता तो क्या दरिद्रों को रोटी खाते देखना भी पसंद नहीं करते। अंत्योदय-बी.पी.एल. एवं निम्न आय प्रमाण-पत्र धारकों के फर्जीबाड़ों से रहीसों को गरीबी आवास-अबंटन निर्बाध रूप से आज भी जारी हैं, तत्काल अंकुश लगना चाहिए। 2-यह कि, जनपद के नगर क्षेत्रों में 4738 वी.पी.एल. एवं 3073 अन्त्योदय राशनकार्ड धारियों की नगर क्षेत्र फर्रुखाबाद, कमालगंज, मोहमम्दाबाद, कायंमगंज की बस्तियों में अन्त्योदय-बी.पी.एल. राशनकार्ड धारकों की वास्तविक स्थितियों के अवलोकन तथा सामूहिक बातचीत के निष्कर्षस्वरूप अन्त्योदय एवं बी. पी.एल. राशन कार्ड एवं गरीबी आय प्रमाण-पत्र धारी अधिकांश व्यक्ति (लगभग 80 से 95 प्रतिशत तक)

वास्तव में गरीबी पात्रता वाले नहीं हैं अर्थात् दरिद्र श्रेणी की जगह रहींस हैं, जिनके पास पक्के लेंटर मकान,मोटरसाइकिल, कार,टैक्टर,दूकान, नौकरी,उद्योग,प्रतिष्ठान, पेंशन, अनाप-शनाप पैतिृक धन-संपत्ति का स्वामित्व है, जबकि वास्तविक अनेक दरिद्र ए.पी.एल. धारक होने से कल्याण लाभ से बंचित हैं। 3-यहकि,नगर के गरीबी आवासों में अधिकांश रहीस परिवार निवासी हैं, जिनके पास लेंटर मकान, मोटर साइकिल, कार, टैक्टर, दूकान, नौकरी, प्रतिष्ठान, पेंशन, अनाप-शनाप पैतिक धन-संपत्ति का स्वामित्व होने के बावजूद गरीब बने हैं, फर्जी गरीबों को आबंटित गरीबी आवास-राशन 🕶 निरस्त होने चाहिए।

अतः अनुरोध है कि, गरीबीआवास आबंटनों में व्याप्त गंभीर अनियमितताएं, फर्जी गरीबों के कब्जे, आवास खरीद-फरोख्त, दरिद्र हितों की उपेक्षा पर तत्काल अंकुश लगाकर, मानकीय गरीबों को आवास व्यवस्था उपलब्ध कराकर, वास्तविक दरिद्रों को आवास आपूर्ति में गरिमामयी योगदान अवश्य प्रदान करें। आदर सहित। भवदीया

दिनांक-26-09-2015

सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रति:-(1) मुख्यसचिव,उ.प्र.शासन,लखनऊ।

पी.डी.एफ (2) नगरअधिकारी,फर्रूखाबाद। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार

(डॉ.नीतू सिंह तोमर)


(3) जिलाधिकारी,फर्रुखाबाद।

नई-दिल्ली-110002

BAZAR <209601> U434728690IN aunter No:1,6P-Code:02 TO: SACHINE KHADANE RASA, SEC LUCJUMON, PIN: 226001 CONSIDER NITU SIMEN , DELHI Wt:20grass. Amt: 22.00 . 26/09/2015 . 13:36

lift





ा भारत सरकार, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

पत्रांक:-सेवा में

/सितम्बर / 2015 / दि.26.09.2015

फोन 9389766228 अतिआवश्यकीय एवं गोपनीय

सचिव

खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः अन्त्योदय-बी.पी.एल.राशनकार्डधारी रहीसों को जारी सरकारी राशन आबंटन पर अंकुश लगाने हेत्

फर्रुखाबाद जनपद निरीक्षण में मुझे, फर्रुखाबाद जिले में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी राशनकार्डस एवं उनको आबंटित सरकारी राशन वितरण तथा कोटे की दूकानों में व्याप्त गंभीर अनियमितताएं-फर्जीबाड़ों से वास्तविक दरिद्रों-अनाथ-असहाय व्यक्तियों की जबरदस्त उपेक्षा देखने को मिली। इन कारणों से जहाँ एक ओर दरिद्रों को खाद्य सुरक्षा के मूल उद्देश्य प्रभावित हो रहे है, वहीं दूसरी ओर धन-पद-प्रतिष्ठा के प्रभाव में बने फर्जी-गरीबों और उनके परिजनों आपसी हितबद्धों लोगों को बिना अवरोध सरकारी कल्याण की योजनाओं का लाभ सहित अनेक कागजी खानापूर्ति के माध्यम से सरकारी-सार्वजनिक धन-संपत्ति को बड़े स्तर पर हड़पकर दुरूपयोग हो रहा है। फर्जी गरीबों को राशन आबंटन पर तत्काल अंकुश लगाकर वास्तविक दरिद्रों को खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाना अति आवश्यक व समीचीन है। सुधार-कार्यवाही हेतु अधोलिखित तथ्य-सुझाव आपको सादर प्रेषित हैं।

1-यह कि, जनपद क्षेत्र के अन्त्योदय एवं बी.पी.एल. राशनकार्ड धारी अधिकांश व्यक्ति-परिवार दरिद्रों, असहायों, अनाथों के स्थान पर रहीसं एवं उनक परिजनों सगे-संबंधी आपसी हितबद्ध या व्यक्ति-जाति विशेष के सक्षम-दबंग हैं, जो सरकारी योजनाओं के कल्याण लामों से वास्तविक दरिद्रों को बंचित कर दरिद्रों का राशन-तेल हड़पने में सक्रिय रहकर कल्याण योजनाओं का धन हड़पने में जुटे हुए हैं। यह दरिद्रों को दान-सहायता तो क्या दरिद्रों को रोटी खाते देखना भी पसंद नहीं करते।अंत्योदय-बी.पी.एल. के फर्जीबाड़े से रहीसों को गरीबराशन अबंटन निर्बाध रूप से आज भी जारी हैं,तत्काल बंद होना चाहिए।

2-यह कि, जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में 50850 वी.पी.एल.परिवारों एवं 34626 अन्त्योदय परिवारों तथा नगर क्षेत्रों में 4738 वी.पी.एल. एवं 3073 अन्त्योदय राशन कार्ड धारियों की नगरक्षेत्र फर्रूखाबाद कमालगंज, मोहमम्दाबाद तथा ग्रामीणक्षेत्र-बढ्पुरब्लाक, कमालगंजब्लाक, शमशाबादब्लाक, राजेपुरब्लाक एवं मोहमम्दाबाद ब्लाकक्षेत्रों के गांवों में अन्त्योदय-बी.पी.एल. राशनकार्ड धारकों की वास्तविक स्थितियों के अवलोकन तथा सामृहिक बातचीत के निष्कर्षस्वरूप अन्त्योदय एवं बी.पी.एल. राशन कार्ड धारी अधिकांश व्यक्ति (लगभग 80 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक) वास्तव में गरीबी पात्रता वाले नहीं हैं अर्थात दरिद्र श्रेणी की जगह रहीस हैं, जिनके पास पक्के लेण्टर मकान, मोटरसाइकिल, कार, टैक्टर, दूकान, नौकरी, उद्योग, प्रतिष्ठान, पेंशन, अनाप-शनाप पैतिक धन-संपत्ति का स्वामित्व है, जबकि वास्तविक अनेक दरिद्र ए.पी.एल. धारक होने से कल्याण लाभ से बंचित हैं। जिस पर तत्काल सुधार होना चाहिए।

अतः आपसे अनुरोध है कि, दरिद्रों को खाद्य आबंटन में व्याप्त अनियमितताएं, खाद्य गोदामों एव राशन दुकानों के फर्जीबाड़े, राशन आबंटन में जनहितों की उपेक्षा पर तत्काल अंकुश लगाकर, मानकीय खाद्य व्यवस्था प्रदान कर वास्तविक दरिद्रों को खाद्य आपूर्ति में गरिमामयी योगदान अवहैव प्रदान करें।

आदर सहित।

दिनांक-26-09-2015

सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रति:-(1)मुख्यसचिव, उ.प्र.शासन, लखनऊ। (2)आरएएफ.सी.कानपुर।

(३)जिलापुर्तिअधिकारी,फर्रुखाबाद ।

(डॉ.नीतूँ सिंह तोमर)

भवदीया

पी.डी.एफ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार नई-दिल्ली-110002

> Dr. NEETU SINGH Post Doctoral Fellow University Grant Commission, Deb

or

#### नीत् सिंह सँगर, क्षार मा-एवडी (समजिति) पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

विविविद्यालय अनुदान आयोग,बहादुर द्वाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002 पत्रांक:-मीमो/जनपद फर्रूखाबाद/दिनांक 09-02-2015 सेवा मे,

जिलाधिकारी,

जनपद फर्रुखाबाद, स्थान फतेहगढ़।

विशय:-फर्रुखाबाद जनपद का अध्ययन-निरीक्षण में सहयोग प्रदान करने हेतु। महोदय,

मैं डॉ. नीतू सिंह सेंगर, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली जो कि फर्रुखाबाद जनपद के दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं का निरीक्षण—अध्ययन में कार्यरत हूँ तथा दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं के कारण और निवारण एवं जानने हेतु जनपद में संचालित सरकारी—गैरसरकारी विभागों—कार्यालयों एवं स्वयं सेवी संगठनों के पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त करने की विशेष आवश्यकता है।

अतः आपसे विशेष अनुरोध है कि फर्रूखाबाद जनपद में संचालित सरकारी, गैर-सरकारी कार्यालयों एवं स्वयं सेवी संगठनों में कार्यरत पदाधिकारियों का दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं से संबंधित निरीक्षण-अध्ययन में सहयोग प्रदान कराने का कष्ट अवश्य करें। सधन्यवाद।

आदर सहित।

दिनांक:-09-02-2015

(डॉ.नीतू सिंह सेंगर) पी.डी.एफ.

विध्वविद्यालय अनुदान आयोग

नई-दिल्ली-110002

VITASSOR, Delt

4. 20 2 MA 321 M2

है ब्रावार्ड

Armeri law

20,

ROL KOTNIALI ROAD (209601) A RU9998397231N Counter No:1,0P-Code:02 TOUTLA BRAN VIVAS ADHI... Fatehgarh H.O. PIN:209601 FrOM: DR. MEETU SINCH , FATEHOACH Wt:20grams. Ant:22.00 , 07/09/2045 , 12:58 (Cirack on waw.indiapost.gov.in)

PL KUTHALI ROAD (209601) A RUS42087134IN Counter No:1,0P-Code:02 TOPPRAYUNH SACHIV,. Ludence G.P.D., PIN:225001 FYORETR NEETU SINGH , FATENGARH Wit: 20grass. Amt:22,00 , 07/09/2015 , 12:58 (Cirack on waw.indiapost.gov.in)

#### तामर्,एम.ए.,पी−एच.डी.(समाजशास्त्र पोस्ट डॉक्टरिल फला

त सरकार, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002 फोन 9389766228 7.00.2015 अतिआवश्यकीय

श. लखनक।

स्कूलों में व्याप्त गंभीर अनियमितताओं पर अंकुश लगाए जाने हेतु।

फर्रुखाबाद जिले में संचालित बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक एवं नियमितताएं, शिक्षकों क फर्जीबाडे एवं शिक्षण-छात्रों की जबरदस्त

जनमा पुरु ५७ । पर निर्णा इन कारणों से जहाँ एक ओर देश के भावी कर्णधारों का भविष्य नष्ट हो रहा है, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को बिना अध्यापन कार्य की सरकारी नौकरी सहित अनेक शैक्षिक योजनाओं की कागजी खानापूर्ति के माध्यम से सरकारी-सार्वजनिक धन-सम्पत्ति का बड़े स्तर पर हड़प कर दुरूपयोग किया जा रहा है, जिस पर तत्काल अंकुश लगाकर प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था में सुधार किया जाना अति आवश्यक है।सुधार हेतु अधोलिखित तथ्य-सुझाव कार्यवाही हेतु आपको सादर प्रेषित हैं

1-यह कि.नगर-ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश प्राथमिक-जूनियर विद्यालयों में पंजीकृत छात्र संख्या में निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र शामिल है, इस फर्जी छात्र संख्या के माध्यम से शिक्षक मनमानी पोस्टिंग पाकर बिना काम किए सरकारी धन-वेतन हड़पने में सफल हो रहे हैं, तत्काल अंकुश लगना चाहिए।

2-यह कि, नगर-गावों के स्कूलों में कार्यरत अधिकांश शिक्षक विशेषकर महिलाएं मानकों की जबरदस्त उपेक्षा कर अपने निजी-पैतिक-स्थानीय आवासों के निकट या आसपास के गांव-नगर-बस्ती में पोस्टिंग पाकर अध्यापन कार्य से विरत रहकर अपने परिजन-नौकरों को भेजकर स्कूली कार्यों की खानापूर्ति कर सरकारी धन-वेतन हड़प रहे हैं, ऐसे कार्य-प्रभाव भ्रष्टाचार का द्योतक है, तत्काल अंकुश लगना चाहिए।

3-यह कि, छात्रों की फर्जी संख्या से मिड-डै-मील में बड़े स्तर पर फर्जीबाड़ा हो रहा है जिसमें शिक्षक रसोइया एवं कोटेदार बच्चों का राशन हड़प रहे हैं, उपस्थिति छात्रों को मानकीय भोजन नहीं दे रहे हैं।

4-यह कि, अधिकांश स्कूलों विशेषकर गावों में प्रबंध समिति के चुनाव, कार्यवाही, प्रस्ताव पूर्णतया फर्जी बन रहे हैं एवं स्कूलों के पास रजिस्टर व निरीक्षण रजिस्टर तक नहीं हैं, तत्काल व्यवस्था होनी चाहिए।

5-यह कि, स्कूलों में फर्जीबाड़ा कर छात्रों को मानकीय शिक्षण, छात्र-कल्याण की योजनाओं के घन को हड़पने वालों एवं शैक्षिक सम्पति का दुरूपयोग कर स्वलाभ कमाने वालों को बर्खास्त किया जाना चाहिए

अतः आपसे विशेष अनुरोध है कि, बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों में व्याप्त गंभीर अनियमितताएं एवं शिक्षकों के फर्जीबाड़े तथा शिक्षण-छात्रों की जबरदस्त उपेक्षा पर अंकुश लगाकर, मानकीय शिक्षा व्यवस्था तत्काल लागू कराकर छात्रों के भविष्य निर्माण में/गेरिमामयी योगदान अवश्य प्रदान करें। (डॉ.नीत् सिंह तोमर)

आदर सहित।

दिनांक:-07-06-2015 सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रति-(1) ए.डी.बेसिक,कानपूर। (2) बेसिक शिक्षा अधिकारी,फर्रूखाबाद।

पी.डी.एफ.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार, नई-दिल्ली-110002

> Dr. NEETU SINGE Post Doctoral Fedow University Grant Commission, Delhi

## डॉ.नीतू सिंह सेंगर,एम.ए.,पी-एच.डी.(समाजशास्त्र)

पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

फोन 9389766228

पत्रांक:- २४ /जून/2015/दि.07.06.2015 सेवा में,

अतिआवश्यकीय

कुलपति / कुलसचित,

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर।

विषय:-फर्रूखाबाद जनपद के महाविद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था के निरीक्षण-अध्ययन में सहयोग हेतु। महोदय,

मैं डॉ.नीतू सिंहं सेगर, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली—110002, जो कि फर्रूखाबाद जनपद के दिरद्र व्यक्तियों की समस्याओं का निरीक्षण अध्ययन में कार्यरत हूं तथा दिरद्र व्यक्तियों की समस्याओं में शिक्षा संबन्धी समस्याओं के कारण और निवारण जानने हेतु जनपद में संचालित कानपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध अनुदानित एवं गैर—अनुदानित तथा सार्वजनिक—निजी महाविद्यालयों एवं विधि आदि महाविद्यालयों की शिक्षा-व्यवस्था एवं उनके मानकों की स्थितियों को जानने हेतु जनपद फर्रूखाबाद में संचालित कानपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के क्यारण अन्द पर्र्खाबाद में संचालित कानपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के क्यारण अन्द पर्र्खाबाद में संचालित कानपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के क्यारण अन्द पर्याण प्रबंध समिति सदस्यों के सहयोग की विशेष आवश्यकता है।

अतः आपसे विशेष अनुरोध है कि फर्रूखाबाद जन्पद में संग्रालित कानपुर कि क्ष्य क्ष्य करें। स्थित पदाधिकारियों एवं प्रबंध समितियों का सहयोग प्रदान कराने का कष्ट अवश्य करें। सधन्यवाद।

आदर सहित।

दिनांक:-21-06-2015

(डॉ.नीतू सिंह तोमर) पी.डी.एफ.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई-दिल्ली-110002

Rent 32/6/15

Pest Dectors Fallow Transpara, Cratic Commission, Debt

### डॉ.नीतू सिंह सेंगर,एम.ए.,पी-एच.डी.(समाजशास्त्र)

पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

पत्रांक- २३ /अपैल/15/दिनांक.13.4.2015 सेवा में.

अति—गोपनीय विशेष—प्रतिवेदन

जिलाधिकरी,

जनपद फर्रूखाबाद, स्थान फतेहगढ़।

विषय:-सरकारी विकास योजनाओं में फर्जीबाडा से प्रमावित जनसामान्य के हितों की सुरक्षार्थ प्रतिवेदन महोदय,

फर्रूखाबाद जनपद क्षेत्र का भ्रमण एवं जनसँम्पर्क तथा निरीक्षण में अनेक अतिगंभीर तथ्य सामूहिक रूप से प्रकाश में आए हैं जिनमें सार्वजनिक-सरकारी व्यवस्था के निर्धारित मानको की उपेक्षाओं एवं संबंधित कर्मियों की दहशत-दबंगई-मनमानी के कारण जनता गंभीर समस्याओं से बुरी तरह संघर्षरत है। जनहितों की सुरक्षार्थ अघोलिखित समस्याएं-सुझाव त्वरित कार्यवाही हेतु आपके समक्ष सादर प्रेषितहैं: 1- यहिक, कोटे की वस्तुओं को जिले की जनता में वितरण हेतु संचालित कोटे की दूकाने नियमित न खुलकर माह में दो-तीन दिन मात्र खुलकर दबंगों द्वारा कार्ड एकत्रित कर, उनपर उल्टी-सीधी इंट्रीकर राशन की वस्तुएं कोटेदारों द्वारा ब्लैक में बेंचकर गरीबों का निर्धारित सरकारी-राशन हडपा जा रहा है। 2- यहिक, सरकारी विकास की योजनाओं के अंतर्गत गरीबों में वितरित होने वाले बी.पी.एल एवं अन्त्योदय राशनकार्ड वास्तविक असहाय,गरीब,दरिद्र को न देकर रहीस-अपात्रों को बेंचें गए है जिन्हें सरकारी विकास की योजनाओं में शामिल कर सरकारी-सार्वजनिक विकास का धन-सम्पत्ति हड़पा जा रहा है, यथा आश्रम पद्धति राजकीय इंटर कालेज मोहम्मदाबाद में पढ़ने वाले अधिकांश छात्रों के परिजन बी.पी.एल-अंत्योदय के अपात्र होने के बावजूद गलत रूप से पात्रता-प्रवेश पाकर सरकारी योजनाओं को हड़प रहे हैं जबकि वास्तविक दरिद्रों के प्रतिपाल्य ए.पी.एल.कार्ड के कारण लाम से बंचित हो रहे है। 3-यहिक, राशनकार्ड की गलत पात्रता के बावजूद संबंधित प्रधानों एवं विकास अधिकारियों ने सुधार प्रस्ताव दिए बिना घर,भूमि,लोन,पशु,शौचालय,बीमा,चिकित्सा,शिक्षा सरकारी लाभ वास्तविक दरिद्र व्यक्तियों को न देकर अमीरों,नेताओं के सगेसंबंधी आपसी हितबद्धों कुपात्रों, को देकर अवैध धन उगाही की गई है। 4- यहिक, फर्मों,फैक्टरियों,कारखानों,होटलों,नर्सिंगहोम,स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारियों को पंजीकृत किए बिना 12-14 घंटे काम लेकर मात्र 2-3 हजार रूपए खैरातदेकर अमानुषिक शोषण कियाजा रहा है। 5— यहिक, संस्थाओं में जनसंपर्क अधिकारियों,निरीक्षण-विजिट आवश्यक रिजस्टरों का पूर्णता अमाव है। 6- यहकि,पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया में चक्रीय आरक्षण व्यवस्था होने के बावजूद दबंग परिवारों के लोगों की पुन:पदासीनता हो रही है। दबंगई से जीते लोगों के परिजन दहशत-दबंगई से जनशोषण कर रहे हैं। 7- यहिक, सरकारी-संस्थाओं में कार्यरत अधिकांश लोग भ्रामक प्रपत्रो से अपने मूल आवास क्षेत्रो में तैनाती पाकर एवं राजनैतिक मंचों पर भाषण-दबंगई से ठेका-व्यापार कर अवैध लाभ कमाने मे जुटे है। 8- यहिक, सरकारी विकास निधियों का अनाप-शनाप धन दरिद्र लोगों पर व्यय होने के बावजूद जिले का लगभग संपूर्ण एस.टी., अधिकांश एस.सी.भूमिहीन,बेरोजगार,कंगाल,,असहाय,अनपढ़,दरिद्र बना हुआ है। 9- यहिक, ईंट भट्टों व कोल्डस्टोर्स की लेबर्स, उनके परिजनों की दरिद्रता अत्यंत शोचनीय बनी हुई है। 10-यहिक, ईंट उद्योग स्वामियों द्वारा की जा रहीं 10-15 फुट भूखनन के गढ्ढे जनता के लिए संकट हैं। 11- यहिक, भीड़ भरे बाजारों-बस्तियों में पशु-पक्षियों की कटी-मुंजी लटकी लहशें आतंक का प्रतीक हैं। 12- यहिक, प्रत्येक स्तर की अधिकांश शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष-प्रबंधक विद्यालय भूमि दान में देकर-लेकर व भवनों के निमार्ण हेतु सरकारी अनुदान लेकर तथा छात्रों से बिल्डिग-फीस लेने के बावजूद विद्यालयों को अपनी निजी सम्पत्ति बताकर सार्वजनिक धन-सम्पत्ति का जबरदस्त दुरूपयोग कर रहे हैं।

13-यहिक,अधिकांश सार्वजनिक संस्थाओं की प्रबंध-समितियों की सदस्यता-संचालन में निर्धारित मानकों की जबरदस्त उपेक्षा कर व्यक्ति विशेष धनी-वर्ग के लोग एवं उनके सगे-संबंधी मनमाने ढंग से स्वयंभू पदासीन बने हए हैं,जिनकी सदस्यता, पदासीनता, मनोनयन, निर्वाचन, कार्यवाहियां पूर्णतया फर्जी ढंग से संचालित हो रही हैं जो सामान्यजनो के हितों की जबरदस्त उपेक्षाकर निजी लाभ कमाने में जुटे हुए हैं। 14-यहिक, जनपद में कार्यरत सफाई कर्मचारियों में अधिकांश कर्मचारी उच्च जाति-वर्ग के है जो गांव नगर में सफाई कार्य न करके तथा यदाकदा दिहाडी मजदूरी से नालियों की सफाई कराकर नेतागीरी एवं दबंगई तथा सभासद-प्रधानों से सांठगाठ से फर्जी उपस्थिति दर्ज कराकर वेतन-धन हडप रहे हैं। 15- यहकि, जनपद में संचालित अधिकांश प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंगहोम्स, मेडिकल स्टोर्स द्वारा निर्धारित मानकों की जबरदस्त उपेक्षाकर, अवैध धन उगाही कर मरीजों, कर्मचारियों का जबरदस्त शोषण कर रहे है 16-यहिक, सरकारी स्कूलों के अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य की उपेक्षा किए जाने एवं अपने प्रतिपाल्यों को सरकारी स्कूलों की बजाय प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए जाने व अपने मूलनिवास क्षेत्र में ही तैनाती लेकर शिक्षण उपेक्षा से आहत जनसाधारण अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में पढ़ाने को तैयार नहीं हो पा रहा है। 17-यहिक, जनपद में संचालित आई.टी.आई.में निर्धारित शिक्षण मानको की जबरदस्त उपेक्षा शोचनीय है। 18-यहिक, जिला क्षेत्र विशेषकर नगर में जरदोजी, बीडी व छपाई कारखानों द्वारा मानको की जबरदस्त उपेक्षा किए जाने, श्रमिकों का पंजीकरण व निर्धारित वेतन न दिए जाने के बावजूद संचालन अनुचित है। 19-यहिक, संविदा पर कार्यरत कर्मचारी सरकारी वेतन सुविधा लेने के बावजूद अपने निर्धारित कार्यों की ड्यूटी छोड़कर प्राइवेट संस्थानों,प्रतिष्ठानों,स्कूलों आदि से धन लेने के बावजूद सरकारी वेतन ले रहे हैं। 20-यहिक, जिले में अनेक संगठित अपराधी भ्रामक तथ्यों-प्रपत्रों के माध्यम से सरकारी आयुध-सुरक्षाकर्मी प्राप्त कर गांव-नगर की बस्तियों में उत्पात से भय-दहशत का वातावरण पैदाकर धनउगाही कर रहे है। 21-यहिक अधिकांश प्रधानों द्वारा बी.पी.एल,अन्त्योदय,मनरेगा कार्ड का लाभ वास्तविक गरीब को न देकर अपने परिजनों एवं सगे-संबंधी आपसी हितबद्ध लोगों को देकर गंभीर अनियमितताए की जा रही हैं। 22-यहकि,सरकारीयोजना की वास्तविक जानकारियों की जगह भ्रामक बातों से जनता लूटी जा रही है। 23-यहिक, अधिकांश कृषक, मजदूर, वृद्ध, असहाय दरिद्रता और शोषण के कारण बुरी तरह आहत हैं। 24-यहिक,अधिकांश दबंग,शातिर,संगठित अपराधी सरकारी-संरक्षण का दुरूपयोग कर अपराध कर रहे हैं 25-यहिक, जिले के गरीब-असहायों के लिए निर्मित सरकारीकालोनी हैवतपुर गढिया आदि में निवास कर रहे लोगों में अधिकांश लोग प्रत्येक दृष्टि से अमीर होने के बावजूद पात्र बनाए गए है, यह लोग गरीबों के उनके आवास हड़पकर हजारों.लाखों में खरीद फरोख्त या किराया धंधा चलाकर अवैध लाभ ले रहे हैं 26—यहिक, निर्बल, एस. सी. वर्ग के लोगों के आवास, पट्टे, गांवपरतीभूमि प्रधान—दबंगों द्वारा हडप लिए गए है 27-यहिक, भट्टों,कोल्ड,दूकानों,जरदोजी नौकरों के वेतन में मानकों की जबरदस्त उपेचा की जा रही है 28-यहिक, सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक अपने पढ़ाई कार्य की वास्तविकता से परिचित होने के कारण अपने प्रतिपाल्यों को किसी भी तरह से सरकारी स्कूल में पढ़ाने को तैयार नहीं हैं एवं जोड़-तोड से अपने मूलनिवास के पास मुहल्लों में तैनाती पाकर, छात्रसंख्या अधिक दिखाकर फर्जीबाडा कर रहे हैं। 29-यहिक, कुछ कर्मचारी अपने ड्यूटी छोड़कर दबंग नेताओं के साथ ठेकेदारीकर अवैध लाम कमा रहे हैं 30-यहिक, ग्राम-नगर विकासविभाग में कार्यरत अधिकांश संविदा सफाई कर्मी स्वयं सफाई कार्य न करके यदाकदा गांवों में जाकर दिहाड़ी मजदूरों से सफाई कार्य कराते हैं और स्कूलों से भी वसूली करते हैं 31-यहिक, दबंग-दलाल सरकारी कार्यों में मनमाना हस्तक्षेप कर सरकारी गोपनीयता भंग कर रहे है। उक्त स्थितियों में जिले की जनता बुरीतरह समस्याग्रस्त है,अतः मानकों की अवहेलना करने वालों के

विरूद्ध दंडनीय कार्यवाहीकर जनहितों की सुरक्षार्थ मानक अनुरूप सरकारी व्यवस्था प्रदान करें। धन्यवाद आदर सहित।

निर्ध प्रतिलिपि

महामहिम राज्यपाल, उ० प्र० सरकार।

RE MINNELL NORD CORROLL DANS A RELIGIOSOS SERVICES POR 18-11, PROCESSOS TORRESTOR SERVICES FROM SERVICES SERVICES PROCESSOS SERVICES SERVI

From: R METO SINGH , FAIRHURGH WEIGHTS., Amt. 22.00 , 13/04/2015 , 12:32

(Grade on Max.indiapost.gov.in)



्र सिंह सेंगर, एम.ए.,पी—एच.डी.(समाजशास्त्र) पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

य अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

सेवा में.

अतिआवश्यकीय मोनावान-९३२४४१॥२२२

राज्यपाल / मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय:-सरकारी ड्यूटी करने से पूर्व निर्घारित प्रक्रिया अपनाने के बावजूद दबंगों द्वारा अपमानित करना महोदय,

में डॉ.नीतू सिंहं तोमर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली—110002 द्वारा पोस्ट डॉक्टोरल फेलो(DSRPDF-2014-15-GE-UTT-1245) नियुक्त हुई हूँ। मैंने निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के उपरान्त निर्धारित सरकारी इयूटी फर्रूखाबाद जिले में कर रही हूँ। मैंने अपनी सरकारी इयूटी फर्रूखाबाद में प्रारंभ करने से पूर्व फर्रूखाबाद के जिलाधिकारी श्री एन.के.एस.चौहान से दि.9.02.2015 को भेंटकर एवं एक पत्र देकर तथा अपनी नियुक्ति संबंधी समस्त प्रपत्र दिखाकर सहयोग मांगा था तथा जिलाधिकरी ने मेरे द्वारा प्रस्तुत पत्र पर निर्देश लिखकर जिला समाज कल्याण अधिकारी को जारी कर मुझे उनके पास पत्र सहित भेजा था परंतु समाज कल्याण अधिकारी ने निर्धारित कार्यवाही की उपेक्षा की और इधर—उधर की बातें कर मेरे कार्य में असहयोग कर सरकारी कार्य की जबरदस्त उपेक्षा की। तथा मैंने जिले के प्रमुख विभागों के उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर व भेंटकर सहयोग मांगा एवं मैंने अपनी सरकारी निर्धारित इयूटी का काम जारी कर जिले के गांवों में जाकर गरीब जनता की समस्याएं सुनीं।

दि.08.04.2015 को मैं खानपुर गांव के लोगों की समस्यायें सुन रहीं थी तो समय 1 बजे गांव के सिक्रेटरी ने अराजक तत्वों और गांव के प्रधान अजय को साथ लेकर अनर्गल बातें कर बवाल करने का प्रयास किया एवं बढ़पुर के बी.डी.ओ. एवं सी.डी.ओ से फोन पर बात कराकर मुझे सी.डी.ओ.आफिस जाने को कहा। मैंने सी.डी.ओ. के पास जाकर प्रपत्र दिखाए, समाज कल्याण अधिकारी को बुलाकर कार्यवाही के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इधर—उधर की बातें कर निर्धारित सरकारी कार्यवाही की उपेक्षा की तब मैंने सरकारी ड्यूटी सहयोग हेतुं सी.डी.ओ. सिहत जिले के प्रमुख अधिकारियों को पत्र लिखकर दिया।

महोदय, दि.10.04.2015 को मैं अपने पित को साथ लेकर पियापुर, गांव गुई तथा गरीबों की समस्याएं सुननी प्रारम्भ की तो समय 2 बजे गांव के प्रधान ने मुझे रोक लिया और अराजक तत्वो सिंहत बढ़पुर के बी.डी.ओं.को बुलाकर मरे समाज में मुझ पर गलत आरोप लगाकर एवं गंदी—गंदी बाते बोलकर मुझे व मेरे पित को बुरी तरह अपमानित किया तदुपरांत अमद्रता करते हुए मुझे एवं मेरे पित को अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बिठाकर जिलाधिकारी के आवास पर ले गए। वहां मौजूद सी.डी.ओ.,बी.डी.ओ.,समाज कल्याण अधिकारी ने अपने तेवर दिखाते हुए मुझे न बोलने हेतु दबाव बनाया एवं गांव प्रधान विजाधरपुर व प्रधान खानपुर सिहत अनेक दबंगों ने मुझ पर असत्य आरोप लगाकर जिलाधिकारी पर दबाव बनाया एवं जिलाधिकारी ने मेरी बात सुने बिना मुझे व मेरे पित को जेल में डालने की धमकी देकर फर्रुखाबाद से भाग जाने हेतु कहा जिससे जहां एक ओर मेरा सरकारीकार्य प्रभावित होकर मुझे जबरदस्त अपमानित होना पड़ा वहीं दूसरी ओर अपराधजगत के प्रभावीलोग सरकारी योजना—धन हडपने में प्रोत्साहित हुए हैं अतः आपसे अनुरोध है कि, मेरे सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले दबंग लोगों की दबंगई एवं

अराजकता से मुक्ति प्रदान कर, मेरे कार्य में सरकारी-प्रशासनिक सहयोग प्रदान कुरने का कष्ट करें।

दिनांक:- 10-04-2015

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रति

सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली। संलग्नक-यूजी.सी.प्रपत्र,आई.डी.,जिलाधिकारी को पत्र की फोटोस्टेट प्रति। (डॉ.नीतू सिंह सेंगर) पी०डी०एफ० विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई–दिल्ली–110002

SP HITSHLI FORD 20960D EU188421697IN Counter No:1, G Code: 02 TOON K S CHELHY D. H. FAIEMENH, P.M.:209601 From HERU SINCH FAILURE Mitabograss. AGE:17.00 , 11/04/1 5 , 11:45

### सिंह सेंगर, एम.ए.,पी-एच.डी.(समाजशास्त्र

पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

जिल्ली विकास कार्या विकास कार्य

सेवा में

जिला अधिकारी.

ucios-21/200-15/1410-04-2015

जनपद फर्रुखाबाद, स्थान फतेहगढ।

विषय:-सरकारी ड्यूटी करने से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बावजूद अपमानित किए जाने महोदय.

में डॉ.नीतू सिंहं तोमर पत्नी श्री एन.सिंह सेंगर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार, बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली-110002 द्वारा "फर्रूखाबाद के दप्रिद्र व्यक्तियों की समस्याओं के निरीक्षण-अध्ययन के लिए" पोस्ट डॉक्टोरल फेलो पद पर नियुक्त हुई हूँ। मैंनें निर्घारित औपचारिकता पूरी करने के उपरान्त निर्घारित सरकारी ड्यूटी जनपद फर्रुखाबाद में कर रही हूँ। मैंने अपनी सरकारी ड्यूटी फर्रुखाबाद में प्रारंम करने से पूर्व फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी श्री एन.के.एस.चौहान से दि.9.02. 2015 को भेंटकर व एक पत्र देकर व अपनी नियुक्ति के प्रपत्र दिखाकर सहयोग मांगा था तथा जिलाधिकरी ने मेरे द्वारा प्रस्तुत पत्र पर निर्देश लिखकर जिला समाज कल्याण अधिकारी को जारी कर उनके पास मुझे भेजा था, परंतु समाज कल्याण अधिकारी ने निर्धारित कार्यवाही की उपेक्षा की और इघर-उघर की बातें कर मेरे कार्य में असहयोग कर सरकारी कार्य की जबरदस्त उपेक्षा की। तथा मैंने जिले के प्रमुख विभागों के उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर व भेंटकर सहयोग मांगा एवं मैंने अपनी सरकारी निर्धारित ड्यूटी का काम जारी कर जिले के गांवों में जाकर गरीब जनता की समस्याएं सुनीं।

दि.8.4.2015 को खानपुर गांव के लोगों की समस्यायें सुन रहीं थी तो समय 1 बजे गांव के सिक्रेटरी ने अराजक तत्वों और गांव के प्रधान अजय को साथ लेकर अनर्गल बातें कर बवाल करने का प्रयास किया एवं बढ़पुर के बी.डी.ओ.एवं सी.डी.ओ से फोन पर बात कराकर मुझे सी.डी.ओ.आफिस जाने को कहा। मैंने सी.डी.ओ. के पास जाकर प्रपत्र दिखाए, समाज कल्याण अधिकारी को बुलाकर कार्यवाही के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इघर-उधर की बातें कर निर्धारित सरकारी कार्यवाही की उपेक्षा की तब मैंने सरकारी ड्यूटी में सी.डी.ओ. सहित जिले के प्रमुख अधिकारियों 🕏 को पत्र लिखकर सहयोग मांगा।

महोदय, आज दि.10.04.2015 को अपने पति को साथ लेकर पपियापुर गांव में जाकर गरीबों की समस्याएं सूननी प्रारंभ की तो समय 2 बजे गांव के प्रधान ने मुझे रोक लिया और अराजक तत्वो सहित बढ़पुर के बी.डी.ऑ.को बुलाकर भरे समाज में मुझ पर गलत आरोप लगाकर एवं गंदी-गंदी बाते बोलकर मुझे व मेरे पति को बुरी तरह अपमानित किया तदुपरांत अभद्रता करते हुए मुझे एवं मेरे पति को अपने गाड़ी में जबरदस्ती बिठाकर जिलाधिकारी के आवास पर ले गए। वहां मौजूद सी.डी.ओ. एवं समाज कल्याण अधिकारी ने अपने तेवर दिखाते हुए मुझे न बोलने हेतु दबाव बनाया एवं गांव प्रधान विजाधरपुर व प्रधान खानपुर सहित अनेक दबंगों ने मुझ पर असत्य आरोप लगाकर जिलाधिकारी पर दबाव बनाया एवं जिलाधिकारी ने मेरी बात सुने बिना मुझे व मेरे पति को जेल में डालने की धमकी देकर फर्रूखाबाद से भाग जाने हेतु कहा जिससे जहां एक ओर मेरा सरकारीकार्य प्रभावित होकर मुझे जबरदस्त अपमानित होना पड़ा वहीं दूसरी ओर अपराधजगत के प्रभावीलोग सरकारी योजना-धन हडपने में प्रोत्साहित हुए हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि, मेरे सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले दबंग लोगों की दबंगई एवं अराजकता से मुक्त प्रदान कर,मेरे कार्य में सरकारी-प्रशासनिक सहयोग.सुरक्षा प्रदान करने का कष्ट करें।

दिनांक:-10-04-2015

सचनार्थ एवं कार्यवाही हेतू प्रेषित प्रति

अमुख्य अधिकारी-गण उ.स.सरकार एवं भारत सरकार

एवं मीडिया क्षेत्र (डॉ.नीत् सिंह सेंगर)

पी०डी०एफ० विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,

Dr. NEETU SINGHEI दुरशाह जफर मार्ग Post Doctoral Fellow To Good 110002

OIL

#### डॉ.नीतू सिंह सेंगर,एम.ए.पी-एच.डी.(समाजशास्त्र) पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

पत्रांक:-मीमों 👩 / अप्रैल / 2015 / दि.09.04.2015 सेवा में.

अतिआवश्यकीय

श्रम प्रवर्तन अधिकारी,

जनपद फर्रुखाबाद, स्थान फतेहगढ़।

विषय:-फर्रुखाबाद जिले के संस्थान-प्रतिष्ठानों के श्रमिकों की दिरद्रता निरीक्षण अध्ययन में सहयोग हेतु महोदय,

मैं डॉ.नीतू सिंहं सेगर, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली—110002, जो कि फर्रूखाबाद जनपद के दिरद्र व्यक्तियों की समस्याओं का निरीक्षण अध्ययन में कार्यरत हूं तथा दिरद्र व्यक्तियों की समस्याओं में श्रमिकों की समस्याओं के कारण और निवारण जानने हेतु जनपद में संचालित सार्वजिनक एवं निजी संस्थानों—प्रतिष्ठानों आदि संस्थाओं में श्रमिकों के लिए व्यवस्थाओं, उनके मानकों एवं भूमिकाओं की स्थितियों को जानने हेतु जनपद फर्रूखाबाद में संचालित श्रम विभाग कर्मचारियों तथा पंजीकृत—गैरपंजीकृत संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों के पदाधिकारियों और श्रमिकों के सहयोग की विशेष आवश्यकता है।

अतः आपसे विशेष अनुरोध है कि, फर्रूखाबाद जनपद में संचालित श्रमविभाग के कर्मचारियों तथा पंजीकृत तथा गैरपंजीकृत सार्वजनिक—निजी संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों के पदाधिकारियों और श्रमिकों का सहयोग प्रदान कराने का कष्ट अवश्य करें। सधन्यवाद।

आदर सहित।

दिनांक:-09-04-2015

्रिल्ह (डॉ.नीतू सिंह सेंगर)

पी.डी.एफ.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,

नई-दिल्ली-110002

Post Doctoral Fellow



# डॉ.नीतू सिंह तोमर,एम.ए.,पी-एच.डी.(समाजशास्त्र)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 सेवा में.

मोबाइल 7376681850

जिलाधिकारी. जनपद फर्रूखाबाद।

दि.14/3/2018

विषय:-फर्रुखाबाद जनपद के जन-सामान्य के दीन व्यागत सनस्याओं के निराकरण हेतु अनुरोध-पत्र। महोदय.

फर्रूखाबाद जनपद के ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों के जन-सामान्य के बीच व्याप्त अधोलिखित समस्याएँ निराकरण हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, जिनका त्वरित निस्तारण जन-हित में अति आवश्यक है।

- (1) यह कि, बड़ी लागत से बने अधिकांश सार्वजनिक शौचालयों की भवनों पर दबंगों ने जबरदस्त कब्जा कर लिए हैं, यथा फर्रुखाबाद तहसील एवं विकासभवन के निकट शौचालय प्रमुख हैं, मुक्त होने चाहिए।
- (2) यह कि, परिषदीय स्कूलों में पंजीकृत कबाड़ बीनने वाले एवं भट्टा श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है जिससे वं निरक्षर हैं और इनके नाम पर फर्जीबाड़ा भी जारी है, जबाबदेह अंकुश जरूरी है।
- (3) यह कि, लकूला बस्ती में लम्बी अवधि से अधूरे पड़े स्कूल एवं अब तक पढ़ाई न होना जनप्रतिकूल है।
- (4) यह कि, मड्गड्डा जैसे वास्तविक अनेक गरीब दशकों से सड़कों पर पन्नी तानाकर अति दरिद्रता में जीवन यापन कर रहे हैं जबकि भौतिक सम्पदा से सक्षम व्यक्ति फर्जी गरीब बनकर सरकारी योजनाओं का लाम हड़प मौज कर रहे हैं यथा कांशीराम गरीब आवासों के अधिकांश निवासी व अन्त्योदयधारियों तथा गरीब पंशनधारकों आदि सक्षम लोगों को गरीब याजनाओं की पात्रता है, जबाबदेह सुधार होना चाहिए।
- (5) यह कि, फर्रुखाबाद के बरात-अथिति गृहों में जिनमें अधिकांश निजी आवसों में संचालित हैं, अपराह रो देर रात्रि तक तीव्र ध्वनि में स्पीकर-डी.जे. एवं तीव्र ध्वनि वाले बैंड-बाजे बजाए जाने से छात्र-जनता बुरी तरह परेशान है और पुलिस मूक रहती है। अतः दबंग-दहशत विरोध संभव नहीं है, अंकुश जरूरी है।
- (6) यह कि, डी.डी.टी. का छिड़काव न होने से उत्पन्न जहरीले बड़े मच्छरों तथा सार्वजनिक जल आपूर्ति कें टैंकों की सफाई एवं क्लोरीन डालने की मानकीय उपेक्षा से साधारण जन गंभीर रोगों का शिकार हो रहे है। अतः डी.डी.टी. छिड़काव व जल आपूर्ति में मानकीय क्लोरीन का उपयोग नियमित होना जरूरी है।
- (7) यह कि, फर्रूखाबाद जिले के ग्रामों में कार्यरत अधिकांश सफाईकर्मी स्वयं सफाई न करके दिहाड़ी बाल्मीक-श्रमिकों से सफाई कार्य कराकर ड्यूटी-वेतन के फर्जीबाड़े कर गांव-मजरों में सफाई कार्य की जबरदस्त उपेक्षा कर रहे हैं। इन कारणों से जहाँ एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त गंदगी उन्मूलन अभियान बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर वास्तविक सफाई कर्मियों को बिना सफाई किए कागजी खानापूर्ति के माध्यम से वेतन भुगतान हो रहा हे, अतः वेतनभोगी कर्गियों से नियमित सफाई कराई जाए।

अतः आपसे विशेष अनुरोध है कि, फर्रूखाबाद जिले में अति विस्तृत रूप में व्याप्त उक्त समस्याओं तथ्यों पर विचार कर समस्याओं का निराकरण जनहित में करने का कष्ट अवश्य करें। राध्यान्यवाद।

आदर सहित। दिनांक:-14-03-2018

(डॉ.नीत् सिंह तोगर)

पी.डी.एफ.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दिल्ली।

Dr. NEETU SINGH

Post Doctor & Follow University Grant Commission, Delhi

es a constant